

राजस्थान सरकार  
कार्यालय-पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

tourism.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- प.स्वा.के.सी../निविदाएं/2023/ ४४०

दिनांक:-

**दर संविदा हेतु बोली आमन्त्रण सूचना (बिड संख्या-01 से 04/2023)**

इस कार्यालय में शेखावाटी उत्सव-2023 दिनांक 10, 11 व 12 मार्च, 2023 के आयोजन में काम आनेवाली निम्नांकित सेवाओ/सामग्री के उपापन हेतु अधिकृत फर्मो/ वितरकों/सद्भावी व्यापारियों से खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर संविदा हेतु दिनांक 23.02.2023 को 1.00 PM तक बोली आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	उपापन की जाने वाली सामग्री/सेवा का विवरण	अनुमानित राशि रु. (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि 2 %	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली विक्रय की अंतिम तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
1	अस्थाई टेण्ट व्यवस्था	9.00	18000 रु	200	23.02.2023 प्रातः 11.00 बजे तक	23.02.2023 दोपहर 1.00 बजे तक
2	स्टेज लाईट एवं साउण्ड	9.00	18000 रु	200		
3	अस्थाई विद्युत व्यवस्था एवं जनरेटर	8.00	16000 रु	200		
4	फ्लेक्स बेनर एवं होर्डिंग कार्य	4.00	8000 रु	200		

इच्छुक बोलीदाताओं को अहर्ता बोली (तकनीकी बोली) एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। बिड प्रपत्र एवं शर्तें दिनांक 16.02.2023 से कार्यालय समय में निर्धारित बोली शुल्क जमा कराके या वेबपोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त बोलियां उपापन समिति द्वारा बोली दाताओ / उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 23.02.2023 को दोपहर 02.00 बजे खोली जायेगी। बोली की पात्रता की संबंध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

समस्त बोली प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबपोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) पर पढ़ी/देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर  
दिनांक:-

क्रमांक:- प.स्वा.के.सी../निविदाएं/23/ ४०१ -- ४०४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर।
3. ACP, IT निदेशालय, पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, सीकर।

सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय-पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर  
tourism.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- प.स्वा.के.सी../निविदाएं/23/ 815

दिनांक:- 16/2/23

दर संविदा हेतु बोली आमन्त्रण सूचना (बिड संख्या-03/2023)

इस कार्यालय में शेखावाटी उत्सव-2023 दिनांक 10, 11 व 12 मार्च, 2023 के आयोजन में काम आनेवाली निम्नांकित सेवाओं के उपापन हेतु अधिकृत फर्मों/ वितरकों/सद्भावी व्यापारियों से खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर संविदा हेतु दिनांक 23.02.2023 को 1.00 PMतक बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	उपापन की जाने वाली सामग्री/सेवा का विवरण	अनुमानित राशि रु. (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि 2 %	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली विक्रय की अंतिम तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
1.	अस्थाई विद्युत व्यवस्था मय जनरेटर	8.00	16000 रु0	200	23.02.2023 प्रातः 11:00 बजे तक	23.02.2023 दोपहर 1:00 बजे तक


इच्छुक बोलीदाताओं को अहर्ता बोली ( तकनीकी बोली) एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। बिड प्रपत्र एवं शर्तें दिनांक 16.02.2023 से कार्यालय समय में निर्धारित बोली शुल्क जमा कराके या वेबपोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त बोलियां उपापन समिति द्वारा बोली दाताओं / उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 23.02.2023 को दोपहर 02.00 बजे खोली जायेगी। बोली की पात्रता की संबंध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा।


समस्त बोली प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबपोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) पर पढ़ी/देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

क्रमांक:- प.स्वा.के.सी../निविदाएं/23/ 816-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर सीकर।
3. ACP,IT निदेशालय, पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट एवं SPPP पोर्टल परअपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, सीकर।

  
सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र,सीकर  
दिनांक:- 16/2/23

  
सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र,सीकर

फर्म का नाम :- .....

**वित्तीय बोली प्रपत्र**

**दर संविदा हेतु बोली आमन्त्रण सूचना (बिड संख्या-03/2023)**

कार्य का नाम:-अस्थाई विद्युत व्यवस्था एवं जनरेटर

शेखावाटी उत्सव-दिनांक 10, 11 व 12 मार्च, 2023 लक्ष्मणगढ़, सीकर

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	दर प्रति नग प्रति दिन (समस्त करों एवं प्रभारों युक्त)
1	साउण्ड प्रुफ जनरेटर सेट मय केबल, आफरेटर परिवहन कन्ट्रोल पेनल चन्जर स्वीच व डीजल सहित 62.5 के.वी. ए (08 घण्टा)	3	
2	साउण्ड प्रुफ जनरेटर सेट मय केबल, आफरेटर परिवहन कन्ट्रोल पेनल चन्जर स्वीच व डीजल सहित 125 के.वी. ए (08 घण्टा)	6	
3	साउण्ड प्रुफ जनरेटर सेट मय केबल, आफरेटर परिवहन कन्ट्रोल पेनल चन्जर स्वीच व डीजल सहित 40 के.वी.ए (08 घण्टा)	2	
4	सफेद मेटल लाईट (1000 वॉट) सफेद मेटल लाईट (400 वॉट)	50 100	
5	एल.ई.डी लाईट (100 वॉट)	100	
6	फायर फाईटिंग मय केमिकल एसेसरी मय आपरेटर	4	
7	Led light 200 watt	100	
8	Fox light 500 watt	100	
9	Cabling (प्रति फिट)	8000	

वांछित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र बोली की शर्तों एवं प्रपत्र के अनुसार संलग्न कर दिये गये हैं।

नोट :-करों की दरों में परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तित करों के अनुसार भुगतान देय होगा ।

  
**सहायक निदेशक**  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर


बोलीदाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता

राजस्थान सरकार  
कार्यालय-पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

बोली-अहर्ता-प्रपत्र

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता व फोन नम्बर.....  
.....  
.....
2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं. - ..... (छाया प्रति संलग्न करें)
3. पैन नम्बर - ..... (छाया प्रति संलग्न करें)
4. बैंक खाता संख्या - .....
5. बैंक का नाम, ब्रान्च व आईएफएससी कोड - .....
6. फर्म का विवरण- एकल/साझेदारी/निर्माता/सेल एजेन्ट- .....
7. उपापन संस्था -सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर
8. सन्दर्भ/बोली आमंत्रण सं. .... / 2022-23 / कोष / स्टोर
9. बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 200 नकद/बैंक ड्राफ्ट संख्या / बैंक चैक / .....  
दिनांक.....द्वारा जमा करा दी गई है।
10. मैं सहायक निदेशक, सीकरद्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण संख्या .... / 2023 / कोष / स्टोर  
में वर्णित सभी शर्तों का तथा संलग्न पत्रों जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों का  
पालन करने हेतु सहमत हूँ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर


  
सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

मय सील

नोट :-


1. उक्त सामान कार्यक्रम स्थान पर एक दिवस पूर्व विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार लगाना होगा तथा विभाग कार्यक्रम के वास्तविक दिवसों का ही भुगतान करेगा।
2. दरे परिवहन, भराई, ढुलाई, लेबर, ईंधन, विछावट की किसी प्रकार पृथक से मान्य नहीं होगी।
3. उक्त सामान में किसी प्रकार टूट-फूट कमी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा सामानों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी फर्म की होगी। कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था इत्यादि के कारण किसी दुर्घटना से जन धन की हानि होती है तो संबंधित फर्म उसकी उत्तरदायी होगी।
4. सामान की तादाद में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
5. किराये पर प्रदान किये जाने वाले सामान की गणना सहायक निदेशक/प्रतिनियुक्त अधिकारी को मौके पर कराकर गणना सीट बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. किसी भी प्रकार का अन्तरिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. सामान अच्छा व साफ सुथरा ही स्वीकार किया जावेगा।
8. सामानको कार्यक्रम के पूर्व/पश्चात लगाने/उठाने एवं परिवहन इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
9. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और वह किसी भी निविदा या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये कमेटी द्वारा अस्वीकार की जा सकती है।
10. निहित समय व दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. निविदाएं मोहरबंद लिफाफे (बंद लिफाफे) में आमंत्रित की जाती है।
12. कार्य आदेश देने के पूर्व सप्लाय किये जाने वाले सामान का निरीक्षण कर अनुमोदन किया जायेगा एवं अनुमोदित फर्म को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध कर 2.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्यालय में जमा करानी होगी जो कि सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र सीकर के नाम बैंकर चैक/DD द्वारा ही मान्य होगी, अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जावेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं से सहमत हूँ।

  
सहायक निदेशक निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबड़ मोहर  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

शर्तें :-


1. वेबसाईट से बोली दस्तावेज डाउनलोड करने पर बोलीदाता को शुल्क 200 रु डीडी/ बैंकर चैकप्रस्तुत करना होगा अन्यथा बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. बोलीदाता को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार बोली उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करनी होगी। लिफाफे में बोलीदाता द्वारा बोली का विवरण सहित नाम मय पूर्ण पता एवं मोबाईल न. अंकित किया जावे।
3. दरें अकों व शब्दों दोनों में लिखी जावे, इसमें कोई त्रुटियाँ/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
4. सक्षम अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिनाकोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सबके लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म /व्यापारी से अधिकको स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को पास आरक्षित रखेगा।
5. बोनाफाईड विनिर्माता / थोक व्यापारी /प्राधिकृत डीलर/सोल डीलर /विपणन एजेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। वह बिना किसी वाद के स्वीकार्य रहेगा।
7. दरें समस्त करें एवं प्रभारों युक्त होगी, बोलीदाता को सामग्रीकी आपूर्ति FOR करनी होगी।
8. सामग्री निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
9. उपापन समिति द्वारा बोलीदाता को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का गुणवत्ता व ब्रांड को देखते हुए युक्तियुक्त निर्णय लेकर कार्यादेश दियाजायेगा जो किसी प्रकार से वाद योग्य नहीं होगा।
10. उपापन समिति निम्न दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगी।
11. सामग्री निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार एवं वास्तविक होनी चाहिए किसी भी प्रकार धोखाधड़ी घटियासामग्री होने पर बोलीदाता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
12. परिवहन के दौरान टूट-फूट की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
13. सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध निरस्त माना जावेगा तथा बोलीदाता को किसीभी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
14. बोलीदाता फर्म बिक्री कर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा बोली पर विचार नहीं जावेगा। गत वित्तीय वर्ष का करचुकता प्रमाणपत्र वाणिज्य कर विभाग का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. बोली प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. बोलीदाता, बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकारकरने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
17. उपापन समिति या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उचित समय पर प्रदायकर्ता के सभी सामग्री कायुक्तियुक्त निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

  
सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

18. कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जावेगा।
- (अ) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (स) बोली प्रतिभूति राशि को समपूरुह करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा।
- इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
19. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्त होने से पांच दिवस की अवधि के भीतर सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम के आर.एस.आर. प्रारूप 17 में राशि रु 500/- का नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिस सामान के लिये बोली स्वीकार की गई है। उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बोलीदाता बोली प्रतिभूति राशि को कार्य निष्पादन राशि में समायोजन करवा सकेगा।
20. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।
21. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये निर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा बोलीदाता क्रेता अधिकारी के आर्डर के प्राप्त होने की निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा अन्यथा निम्नलिखित प्रकार से परिनिर्धारित क्षति की राशि देनी होगी:-
- (अ) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5 प्रतिशत
- (ब) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए -5 प्रतिशत
- (स) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए -7.5 प्रतिशत
- (ग) विहित परिदान अवधि के तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए -10 प्रतिशत
22. परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जावेगी।
23. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थागत किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा सीकर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।
24. किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत या रद्द करने का सर्वाधिकार पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर के पास रहेगा।
25. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी। बोली दस्तावेज में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई शर्त अंकित नहीं की जाए।
26. नियमानुसार करों की कटौती कर भुगतान किया जावेगा। कार्य एवं सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मानदण्ड अनुसार होगी। सामग्री की मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती हैं।
27. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
28. सामग्री की संख्या अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान सामग्री की कुल संख्या अनुमानित संख्या से कम/अधिक हो सकती है। जो राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में नियमानुसार होगी।

**सहायक निदेशक**  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर


29. राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के उपनियम 29(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
30. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent-Equitable Manner से विभाजित किया जा सकेगा।
31. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 प्रभावशील है, जो उक्त बोली पर प्रभावशील होंगे।
32. उक्त सामान कार्यक्रम स्थान पर एक दिवस पूर्व विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार लगाना होगा तथा विभाग कार्यक्रम के वास्तविक दिवसों का ही भुगतान करेगा।
33. दरे परिवहन, भराई, दुलाई, लेबर, ईंधन, विछावट की किसी प्रकार पृथक से मान्य नहीं होगी।
34. उक्त सामान में किसी प्रकार टूट-फूट कमी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा सामानों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी फर्म की होगी। कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था इत्यादि के कारण किसी दुर्घटना से जन धन की हानि होती है तो संबंधित फर्म उसकी उत्तरदायी होगी।
35. सामान की तादाद में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
36. किराये पर प्रदान किये जाने वाले सामान की गणना सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर/प्रतिनियुक्त अधिकारी को मौके पर कराकर गणना शीट बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
37. किसी भी प्रकार का अन्तरिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. सामान अच्छा व साफ सुथरा ही स्वीकार किया जावेगा।
39. सामान को कार्यक्रम के पूर्व/पश्चात लगाने/उठाने एवं परिवहन इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
40. फर्म को बड़े उत्सवों का लाइव कॉन्सर्ट का अनुभव होना चाहिए। कार्यादेश की प्रति संलग्न की जावें।
41. विभाग न्यूनतम दर वाली संविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और वह किसी भी निविदा या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये कमेटी द्वारा अस्वीकार की जा सकती है।
42. निहित समय व दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी।
43. बोली प्रतिभूति घोषणा के बिना बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
44. निविदाएं मोहर बंद लिफाफे (बंद लिफाफे) में आमंत्रित की जाती है।
45. कार्य आदेश देने के पूर्व सप्लाय किये जाने वाले सामान का निरीक्षण कर अनुमादित की जावेगी एवं अनुमादित फर्म को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध कर 2.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

  
**सहायक निदेशक**  
 पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

- कार्यालय में जमा करानी होगी जो कि सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर के नाम बैंकर चेक / डीडी द्वारा ही मान्य होगी, अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जावेगी।
46. फर्म/बोलीदाता का जीएसटी रजि० होना आवश्यक है।
47. सामग्री/सेवा की दरें समस्त करों सहित होगी।
48. उपर्युक्त शर्त संख्या 1 से 48 को मैंने/हमने पढ लिया है तथा मैं/हम उक्त शर्तों पर सहमत हूँ।

उपर्युक्त शर्तों को मैं/हम स्वीकार करता/करते हैं।

दिनांक:

  
सहायक निदेशक  
पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
मय सील